

विषय सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	vii
कार्यकारी सार	-	ix
अध्याय-I प्रस्तावना		
अधिनियमित कानून	1.1	1
उत्तर प्रदेश का परिदृश्य	1.2	1
संगठनात्मक ढाँचा	1.3	2
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.4	3
लेखापरीक्षा मानदंड	1.5	3
लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली	1.6	4
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	1.7	5
अध्याय-II अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन		
अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य स्तरीय नियमों की तुलना	2.1	7
अध्याय-III प्रतिष्ठानों एवं लाभार्थियों का पंजीकरण		
प्रतिष्ठान पंजीकरण में पंजीकरण अधिकारियों की भूमिका	3.1.1	17
प्रतिष्ठानों के पंजीकरण की स्थिति	3.1.2	18
अधिनियम/नियमों की महत्वपूर्ण शर्तें पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित न होना	3.1.3	22
अनुबंधों में पंजीकरण के लिए किसी उपबंध का न होना	3.1.4	23
पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गत करने में विलम्ब	3.1.5	24
प्रतिष्ठानों के पंजीकरण में विलम्ब	3.1.6	25

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्रतिष्ठानों की पंजिका का अनुरक्षण न किया जाना	3.1.7	27
प्राप्तियों का उपयोग	3.1.8	28
लाभार्थियों के पंजीकरण की स्थिति	3.2.1	30
भारत सरकार के निर्देशों का पालन न करना	3.2.2	32
अपात्र लाभार्थियों का पंजीकरण	3.2.3	33
मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन	3.2.4	37
पहचान पत्र का निर्गमन	3.2.5	38
अध्याय-IV		
उपकर निर्धारण, संग्रहण एवं बोर्ड को उपकर का अंतरण		
नियोक्ताओं द्वारा प्रपत्र-1 में विवरणी जमा न किया जाना	4.1.1	45
सहायक/उप श्रमायुक्त के अतिरिक्त अन्य उपकर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपकर का निर्धारण नहीं किया जाना	4.1.2	46
उपकर के निर्धारण की स्थिति	4.1.3	47
उपकर का भुगतान नहीं किया जाना	4.1.4	49
निर्धारण में कमी	4.1.5	50
भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित सर्वेक्षण का कार्यान्वयन	4.1.6	51
भवन योजनाओं के अनुमोदन पर उपकर संग्रहण में देरी या विफलता	4.2.1	53
उपकर के संग्रहण में कमी	4.2.2	55
निर्माण लागत की गणना समान दरों पर न किया जाना	4.2.3	57
उपकर के संग्रहण पर वास्तविक व्यय की गणना किये बिना ही वसूली प्रभारों की कटौती	4.2.4	58
संग्रहित उपकर बोर्ड को हस्तांतरित न किया जाना	4.3.1	60

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
संग्रहित उपकर का बोर्ड को अंतरण में विलम्ब	4.3.2	61
सरकारी लेखे के बाहर लेन-देन	4.4.1	62
कोषागारों में जमा उपकर बोर्ड को अंतरण नहीं किया जाना	4.4.2	63
उपकर प्राप्तियों का अपर्याप्त लेखा-जोखा	4.4.3	64
उपकर प्राप्तियों का डेटा संसाधित नहीं किया जाना	4.4.4	67
अध्याय-V		
श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य		
नियोक्ताओं/ठेकेदारों द्वारा सुरक्षा नीति प्रस्तुत न किया जाना	5.1	70
निरीक्षकों की भूमिका में कमी	5.2	71
सुरक्षा समिति का गठन सुनिश्चित न किया जाना	5.3	74
सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित न किया जाना	5.4	75
दुर्घटना के प्रकरणों की रिपोर्टिंग तथा उनकी जाँच	5.5	75
कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत मृत या घायल श्रमिकों को क्षतिपूर्ति	5.6	78
समन्वय के अभाव में जाँच की कार्यवाही न किया जाना	5.7	79
नियमों के अनुपालन के प्रावधान के बिना अनुबंध का गठन	5.8	80
भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 को न अपनाया जाना	5.9	81
स्कैफोल्ड्स तथा लैडर्स के लिए भारतीय मानक सुरक्षा संहिता (आई.एस: 3696)	5.10	82

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
अध्याय-VI		
निरीक्षण		
मुख्य निरीक्षक एवं अन्य निरीक्षकों की नियुक्ति	6.1	86
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विरोधाभासी प्रावधान	6.2	88
कार्य प्रारम्भ की सूचना प्रस्तुत करने में विफल नियोक्ताओं पर दंड का आरोपण नहीं किया जाना	6.3	88
निरीक्षण टिप्पणी निर्गत करने के प्रारूप में कमी	6.4	89
निरीक्षण की स्थिति	6.5	90
निरीक्षण टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्यवाही	6.6	92
निरीक्षण के लिए योजना बनाना	6.7	94
नियोक्ताओं द्वारा अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित नहीं किया जाना	6.8	95
अध्याय-VII		
कल्याण निधि का प्रशासन एवं उपयोग		
बोर्ड का गठन	7.1	99
बोर्ड के पदाधिकारी	7.1.1	100
बोर्ड की बैठकें	7.1.2	103
बोर्ड को कार्यकलाप सौंपना	7.1.3	104
बजट अनुमान तैयार करना	7.2.1	106
वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना	7.2.2	110
वार्षिक लेखा तैयार करना	7.2.3	110
समितियों का गठन	7.2.4	111
कल्याण निधि का प्रबंधन	7.2.5	113
योजनाओं के कार्यान्वयन में अदक्षता	7.2.6	122
योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा संपन्न नहीं होना	7.2.7	135

परिशिष्ट		
संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
I	राज्य स्तर पर बोर्ड की संगठनात्मक संरचना	139
II	चयनित जनपदों, इकाइयों एवं योजनाओं की सूची	140
III	अवधि 2017-22 में चयनित जनपदों में प्रतिष्ठानों के पंजीकरण का विवरण	141
IV	चयनित जनपदों में उपकर के कम निर्धारण का विवरण	142
V	ठेकेदारों के बीजकों से वस्तु एवं सेवा कर की राशि पर उपकर की कटौती नहीं करने का विवरण	145
VI	प्रतिशत प्रभार की राशि पर उपकर की कटौती नहीं करने का विवरण	146
VII	अवधि 2019-22 में ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से अनुमोदित मानचित्रों के सापेक्ष आंशिक रूप से जमा उपकर का विवरण	146
VIII	अवधि 2017-22 में संग्रहित उपकर का विवरण, जो बोर्ड को अंतरित नहीं किया गया	147
IX	अवधि 2017-22 में संग्रहित उपकर को विलम्ब से बोर्ड को हस्तांतरण का विवरण	147
X	अवधि 2017-22 में कार्यस्थल दुर्घटनाओं का विवरण, जहाँ निरीक्षकों द्वारा आवश्यक जाँच नहीं की गयी थी	148
XI	मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार राज्य में निरीक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण	148
XII	अवधि 2017-22 में योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का विवरण	149
XIII	अवधि 2017-22 में बोर्ड द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का विवरण	150
XIV	मॉडल योजना के प्रस्तावित गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण	151